



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं० पटना 343) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 मार्च 2019

एस० ओ० 50, दिनांक 7 मार्च 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रूपयों से अधिक है, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) एवं धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन माह जुलाई, 2017 से माह जून, 2019 के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 857)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

7 मार्च 2019

एस० ओ० 50, दिनांक 7 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 857)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 7th March 2019

S.O. 50, Dated 7th March 2019.— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 857)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 343-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>